कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/को.के./स्थानांतरण/656/2018 दिनांक– 18.11.2019 के तहत श्री आदेश कुमार वर्मा, व्याख्याता गणित का राउमावि सिवांची गेट (जोधपुर) में दोहरे पदस्थापन के कारण उनके स्वयं की सहमति के आधार पर पदस्थापन राबाउमावि तिंवरी (जोधपुर) किया गया था। उक्त समायोजन आदेश के विरूद्ध श्री आदेश कुमार वर्मा द्वारा राजस्थान सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर की अपील संख्या 01/2020 आदेश कुमार वर्मा बनाम राज. सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 01/2020 मे माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2020 द्वारा अपीलार्थी श्री आदेश कुमार वर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति मे इसे विधि अनुसार अपीलार्थी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इसे एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

अपील अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री आदेश कुमार वर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना पदस्थापन आस–पास के तीन विद्यालयों मे नही चाहकर जोधपुर शहर के कार्यालय 1. डाईट जोधपुर 2. सीबीईओ कार्यालय जोधपुर शहर (आर.पी.) की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2020 एवं राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि राबाउमावि तिंवरी (जोधपुर) मे व्याख्याता के पद पर दिनांक: 28/02/2020 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी–3/भौगकृ/अभ्यावेदन/आदेश कुमार वर्मा/को.के/19–20 दिनांक: 21/02/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री आदेश कुमार वर्मा के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जॉंच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य राबाउमावि तिंवरी, जोधपुर/ सिवांची गेट (जोधपुर)
9. कार्मिक श्री आदेश कुमार वर्मा व्याख्याता (गणित) राउमावि सिंवाची गेट, जोधपुर
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर